न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 51/2018 (राजसमन्द डिकी)

1. भगवानसिंह पिता पुनमसिंह जी रावत, निवासी धर्मेशपुरी, भीम, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
2. श्रीमती सुशीला पुत्री पुनमसिंह जी रावत, निवासी धर्मेशपुरी, भीम, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
3. रणजीतसिंह पिता पुनमसिंह जी रावत, निवासी धर्मेशपुरी, भीम, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
4. श्रीमती टमु देवी बेवा पुनमसिंह जी रावत, निवासी धर्मेशपुरी, भोम, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
5. श्रीमती कान्ता देवी पत्नी केसरसिंह जी रावत, निवासी धर्मेशपुरी, भीम, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
6. भंवरलाल पिता राजूराम जी मेघवाल, निवासी डासरिया, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. मिठूसिंह पिता डाऊसिंह जी रावत, निवासी उदामाना का कोट, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
2. श्रीमती गुलाबी देवी पत्नी डाऊसिंह जी रावत, निवासी उदामाना का कोट, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (मृतक) नाम तर्क
3. विजयसिंह पिता जोधसिंह जी रावत, निवासी नयाघर बावडी, उदामाना का कोट, भीम, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
4. श्रीमती गंगा देवी पुत्री लक्ष्मणसिंह जी रावत, निवासी नयाघर बावडी, उदामाना का कोट, भीम, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
5. श्रीमती चम्पली पुत्री लक्ष्मणसिंह जी रावत, निवासी नयाघर बावडी, उदामाना का कोट, भीम, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

6. श्रीमती ख्याली बाई पुत्री लक्ष्मणसिंह जी रावत, निवासी नयाघर बावडी, उदामाना का कोट, भीम, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
7. भंवरसिंह पिता हजारीसिंह जी रावत, निवासी नयाघर बावडी, उदामाना का कोट, भीम, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान

काश्त0 अधि0–1955 विरूद्ध निर्णय

एवं डिकी उपखण्ड अधिकारी, भीम

दिनांक 23.05.2018, प्र. सं. 38/09

———:::———

उपस्थित(वक्तबहस)1. श्री संजय बोहरा अभिभाशक अपीलान्टगण

2. श्री बी. एल. डांगी अभिभाषक रेस्पो॰ सं॰ 1

———:::———

निर्णय दिनांक

11–06–2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा अपीलान्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा भीम में आराजी नंबर 4039 व 4040 कुल किता 2 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा भूमि स्थित है। वादीगण का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार है। उक्त भूमि पहले शामलाती दर्ज होकर वादीगण के मौरूस मोटा जी के कब्जे काश्त में चली आ रही थे तथा उनके बाद लगभग 40–50 वर्षो से वादीगण का कब्जा चला आ रहा है। करीब 3 माह पूर्व प्रतिवादीगण संख्या 1 ने एक कमरा हमारी गैर मौजूदगी में हमारी भूमि पर बना लिया, मना करने पर कहा कि जमीन उसने खरीदी है। इस पर जानकारी करने पर पता चला कि सेटलमेन्ट के दौरान भूमि चुप चाप दूसरों के खाते दर्ज कर दी, जबकि सेटलमेन्ट विभाग को पूर्व इन्द्राज को बदलने का कोई अधिकार नहीं है। अतः

वादीगण को उक्त भूमि का खातेदार घोषित किया जावे एवं कब्जा वादीगण को दिलाया जाकर स्थाई निषेधाज्ञा भी दिलायी जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखा जाकर अपने निर्णय दिनांक 23–05–2018 से वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 14–09–2018 को प्रस्तुत की गयो है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त निर्णय अपीलान्ट को बिना सुने पारित किया गया है। विपक्षी संख्या 1 व 2 का इंचमात्र भूमि पर कब्जा नहीं होते हुए भी प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वाद डिक्री कर दिया गया है, जो नल एण्ड वोइड होने से मयाद का बिन्दु लागू नहीं होता है। दिनांक 04–09–2018 को अपीलान्ट जब पटवारी हल्का से मिला तो उसे कथित निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। देरी का पर्याप्त कारण है। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

उपरोक्त दफा 5 क आवेदन के खण्डन का जवाब रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि लोक अदालत की भावना से कैम्प में पक्षकारान की उपस्थिति में उन्हें सुनकर निर्णय पारित किया गया है, पटवारी ने दिनांक 04–09–2018 को जानकारी होने का कथन सर्वथा मिथ्या है। अतएवं अपील मयाद के बिन्दु पर ही खारिज की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

हमने उक्त आवेदन पर उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि राजस्व कैम्प में दिनांक 23–05–2018 को अपीलान्ट/प्रतिवादीगण के उपस्थित होने की कोई साक्ष्य नहीं है, तद्नुसार न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री बी. एल. डांगी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की दौराने कार्यवाही मृत्यु

हो जाने से उनका नाम तर्क किया गया। शेष रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि अधिनस्थ न्यायालय ने मरे हुए के खिलाफ डिक्री जारी की है, जो नल एवं वोईड होकर बिना अधिकार के है, क्योंकि प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु हो चुकी थी तथा फेफीबाई भी मर चुकी थी, जिनके वारिसान को कायम मुकाम कराये बिना उनके खिलाफ डिक्री प्राप्त की गयी है। कथित भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा होते हुए भी प्रतिकूल कब्जे के आधार पर रेस्पोन्डेन्ट/वादी का वाद डिक्री किया है, जो विधिक प्रावधानों के विपरीत है। अपीलान्ट को सम्मन तामील कराये बिना तथा उसे सुनवाई का अवसर दिये बिना कथित निर्णय पारित किया गया है। अतएवं अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को उपलब्ध साक्ष्यों अनुसार होना बताया तथा अपील अपीलान्ट मयाद बाहर प्रस्तुत किये जाने एवं सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया तथा तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 मिठूसिंह की उपस्थिति में राजस्व लोक अदालत में दिनांक 23–05–2018 को वादी/रस्पोन्डेन्ट का वाद डिक्री कर दिया गया, जबकि पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार का राजीनामा नहीं हुआ है। तद्नुसार प्रथम दृष्टया अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री प्राकृतिक न्याय एवं विधि के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 23–05–2018 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की

जाती है कि प्रकरण में पक्षकारान को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर विधि के आलोक में निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 13–08–2019 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 11–06–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारो
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰.....मुकाम..... उदयपुर.....

व इजलास ..... प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰ ....

सुरेन्द्रसिंह पिता प्रेमसिंह राठौड़, नि0 बेमला, तह0 गिर्वा हाल मकान नं.37 वाडा, देबारी नाकोड़ा नगर 11, धाऊजी की बाड़ी व अन्य बेड़वास, तह0 गिर्वा, जिला उदयपुर

बनाम

दलपतसिंह पिता मनोहरसिंह देवड़ा निवासी सिंगावतों का तह0 गिर्वा, जिला उदयपुर

अपील नं॰.....47 / 2018.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....उपखण्ड अधिकारी..... .....भीम..... मुकाम.....मुवर्खे.....18.....माह.....07..... 2016

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....13....माह.....03.....सन् 2019 रूबरू..... पक्षकारान

व हाजरी..श्री ओंकारलाल डांगी..मिनजानिब अपीलान्ट व..श्री महेन्द्र मेनारिया/राजमल राव

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 18–07–2016 यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.....).....रूपये .... X..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....13.....माह.....03... .....2019 को जारी किया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .. .. 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा . .... 4. मेहनताना वकील..... ..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो।